संख्या-114/2026/180/41-2-2026-CN-1942285

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 **लखनऊ:: दिनांक 10 मार्च, 2026**

विषय:- 04 नये वाहन क्रय किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-432993/21-1-1(निलामी)/नजा0-61/2024, दिनांक 23.01.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पर्यटन निदेशालय के उपयोगार्थ निष्प्रयोज्य 04 वाहनों के स्थान पर 04 नये वाहन मारुति सुजुकी एक्स.एल.-6 माडल क्रय किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यटन निदेशालय के उपयोगार्थ निष्प्रयोज्य 04 वाहनों के स्थान पर 04 नये वाहन मारुति सुजुकी एक्स.एल.-6 माडल क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन का पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-पर्यटन निदेशालय-14-मोटर गाडियों का क्रय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 33.94 लाख (रूपये तैंतीस लाख चौरानवे हजार मात्र) को अवमुक्त करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) महानिदेशक, पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तावित वाहन पर्यटन निदेशालय के उपयोगार्थ क्रय किया जाना है, अत: महानिदेशक, पर्यटन यह पूर्णत: सुनिश्चित कर लेंगे कि पर्यटन निदेशालय को सरकारी वाहन की अनुमन्यता सक्षम स्तर से प्राप्त है।

(2) महानिदेशक, पर्यटन विभाग वाहन क्रय हेतु धनराशि आहरित करने से पूर्व वाहन की उपयोगिता एवं अपरिहार्यता के औचित्य से स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।

(3) महानिदेशक, पर्यटन विभाग GEM की दरों की अनुमन्यता एवं वैधता अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे तथा वाहन क्रय सम्बन्धी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(4) महानिदेशक, पर्यटन विभाग यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि जिस निष्प्रयोज्य वाहन के सापेक्ष प्रस्तावित वाहन क्रय किया जाना है, उस निष्प्रयोज्य वाहन के सापेक्ष पूर्व में कोई वाहन क्रय न किया गया हो।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है,उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(6) महानिदेशक, पर्यटन विभाग वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध शासनाादेशों/नियमों/विनियमों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(7) महानिदेशक, पर्यटन विभाग द्वारा क्रय किये जाने वाहन जिस अधिकारी के साथ सम्बद्ध किये जाने हैं, उनकी वाहन उपयोग की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।

(8) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक पर्यटन विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश महानिदेशक पर्यटन विभाग द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(9) महानिदेशक, पर्यटन विभाग निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा कराये जाने की सूचना के सम्बन्ध में स्वस्तर से सुनिश्चित हो लेंगें।

(10) जेम पोर्टल पर दरों में परिवर्तन होता रहता है। क्रय के समय जेम पोर्टल पर उपलब्ध दर के अनुसार वित्तीय सीमा के अन्तर्गत व्यय किया जायेगा। महानिदेशक, पर्यटन विभाग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-58/2023/1621/18-2-2023/18-2099/372/2023-125(ल0उ0)/2014, दिनांक 21.12.2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार अनुमन्य वित्तीय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- स संबंध में होने वाला व्यय रुपये 33,94,000 (रुपये तैंतीस लाख चौरानबे हजार मात्र **)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 5452808000300 पर्यटन निदेशालय मानक मद 14 मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च**,** 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव**,** मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग**,** उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी**, (**का0) मुख्यालय**,** लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7**,** उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक)**,** अनुभाग-1**,** उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।